

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-10/2024

श्री विजय कुमार अवस्थी,
सी-310, स्वास्तिक ग्रैंड कॉलोनी,
पुरवा रोड, गढ़ा, जबलपुर (म0प्र0) – 482003
मो0नं0 9407901326 / 7389591513

— आवेदक

विरुद्ध

अधीक्षण यंत्री (शहर) वृत्त,
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ब्लाक 7, शक्ति भवन, रामपुर,
जबलपुर (म.प्र.) –482008

— अनावेदकगण

कार्यपालन यंत्री (दक्षिण) संभाग,
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ब्लाक 7, शक्ति भवन, रामपुर,
जबलपुर (म.प्र.) –482008

आदेश

(दिनांक 02.05.2024 को पारित)

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

अनावेदक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र चौरसिया, सहायक यंत्री एवं श्री अभिषेक चौकसे, जूनियर इंजीनियर पूर्व क्षेत्र, जबलपुर उपस्थित ।

01. आवेदक – श्री विजय कुमार अवस्थी, निवासी सी-310, स्वास्तिक ग्रैंड कॉलोनी, पुरवा रोड गढ़ा जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 172/2023 में पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उपरोक्त अभ्यावेदन में बंद/खराब विद्युत मीटर को बिलंब से बदलने के कारण अत्याधिक आंकलित विद्युत खपत पर दिये गये विद्युत देयकों से संबंधित शिकायत है। आवेदक श्री विजय कुमार अवस्थी द्वारा यह अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष दिनांक 16.04.2024 को "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021" की कण्डिका 3.37, 3.38 एवं 4.12 के अनुसार प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन को स्वीकार कर दिनांक

16.04.2024 को प्रकरण दर्ज कर उभय पक्षों को दिनांक 30.04.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया ।

02. विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम, जबलपुर क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण क्रमांक 172/2023 में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :-

उपभोक्ता द्वारा अपने आवेदन में अपने घरेलू कनेक्शन के जुलाई-23 से मीटर के बंद/खराब होने की शिकायत की है एवं जुलाई-23 से लगातार ज्यादा आंकलित खपत के विद्युत देयक के प्राप्त होने का भी लेख किया है। प्रतिवादी द्वारा अपने पत्र 1006 दिनांक 14.02.2024 में लेख किया गया है कि जुलाई-23 से सितंबर-23 के अवधि में दर्ज खपत के औसत 270 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर 600 यूनिट खपत के आंकलित विद्युत देयक जारी हुये थे। अतः आंकलित खपत के देयक को पूर्व के तीन माह में दर्ज खपत के औसत 270 यूनिट के आधार पर पुनरीक्षित कर माह अक्टूबर-23 के देयक में 6510.00 एवं माह नवम्बर-23 के देयक में 9503.00 का समायोजन कर दिया गया है। जो कि न्यायोचित है।

प्रकरण में प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के गुण-दोष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश देता है:-

- (i) प्रतिवादी द्वारा वादी के जुलाई-23 से सितम्बर-23 तक की अवधि के विद्युत देयक में आवश्यक सुधार कर दिया गया है। अतः प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाता है

03. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक ने फोरम के उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर निम्नानुसार कथन किया है:-

- i. वह कंपनी स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं अपीलीय अधिकारी जबलपुर" द्वारा पारित आदेश से पूर्णतः असंतुष्ट है ।
- ii. प्रतिवादी (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर) द्वारा कंपनी के नियमानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक (4) के आधार पर किये गये विद्युत आंकलित देयक को उक्त आदेश में मान्य किया गया है जिससे वह असंतुष्ट है क्योंकि इसी देयक को चुनौती देते हुये आवेदक ने फोरम में शिकायत दर्ज की थी।
- iii. इस विद्युत आंकलित देयक में पूर्व में जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 तक दर्ज खपत 600 यूनिट प्रतिमाह (लोड आधारित) को कंपनी में उनकी शिकायत करने पर 270 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से संशोधित किया गया था जो वास्तविकता से बहुत अधिक था। इसी के विरुद्ध उन्होंने फोरम में शिकायत की थी।
- iv. आवेदक ने नवम्बर 2021 से अपने फ्लैट में निवासरत हैं और उनके निवास की विद्युत खपत कभी भी 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक (मई एवं जून माह को छोड़कर) नहीं रहती है।

- v. इसी आधार पर आवेदक ने विद्युत फोरम में अनुरोध किया था कि जुलाई-23 से नवम्बर-23 तक उनका विद्युत देयक मई-2023 एवं जून 2023 को छोड़कर पिछले दो वर्षों की औसत खपत के आधार पर संशोधित किया जाये। विद्युत मीटर की अनुपलब्धता कंपनी द्वारा प्रदत्त सेवा में कमी का प्रकरण है और इसकी आड़ में कंपनी द्वारा इस प्रकार अवैध वसूली नहीं की जा सकती है।
- vi. यद्यपि फोरम का आदेश जारी होने के बाद आवेदक ने देयक का भुगतान कर दिया है किन्तु लोकपाल से पुनः अनुरोध है कि उनके विद्युत देयक में वास्तविकता के आधार पर संशोधन करके अतिरिक्त वसूली गई राशि (लगभग दस हजार रुपये) का समायोजन आगामी देयकों में करने का आदेश अनुज्ञापतिधारी (प्रतिवादी) को देकर उन्हें राहत एवं न्याय दिलाने की कृपा करें।
- vii. 72 वर्ष की आयु में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से आई आंशिक विकलांगता के कारण आवेदक लोकपाल के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है एवं किसी प्रतिनिधि को प्रस्तुत करने में भी सक्षम नहीं है।
- 04. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :-**
 "मई एवं जून 2023 की विद्युत खपत को छोड़कर पिछले दो वर्षों की औसत खपत के आधार पर नवम्बर 2023 तक देयकों में संशोधन कर अधिक वसूली गई राशि का समायोजन।"
- 05. प्रकरण में दिनांक 30.04.2024 को हुई सुनवाई का विवरण निम्नानुसार है:-**
 आवेदक श्री विजय कुमार अवस्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन एवं अतिरिक्त प्रतिवेदन दिनांक 24.04.2024 द्वारा उनकी उपस्थिति शारीरिक विकलांगता के कारण नहीं होने से यह निवेदन किया कि उनके अभ्यावेदन में उपलब्ध दस्तावेजों को साक्ष्य मानते हुए न्यायसंगत निर्णय दें। इसलिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में अनुपस्थित रहे। प्रकरण के विषय-वस्तु को आवेदक की ओर से समझने के लिए उनको दूरभाष पर दिनांक 30.04.2024 को सुना गया।
 अनावेदक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र चौरसिया, सहायक यंत्री एवं श्री अभिषेक चौकसे, जूनियर इंजीनियर पूर्व क्षेत्र, जबलपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा अपने पक्ष में अधिकृत पत्र दिनांक 26.04.2024 के साथ प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया।
 अनावेदक प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्युत्तर की एक प्रति आवेदक/उपभोक्ता को उपलब्ध करावें।
 उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।
- 06. अनावेदक कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (दक्षिण) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अपने प्रत्युत्तर दिनांक 29.04.2024 में निम्न कथन किया गया:-**
 (i) उपभोक्ता का कनेक्शन क्र. 1849003949 श्री विजय कुमार अवस्थी स्वीकृत भार- 4 किलो वॉट दर्ज है।

- (ii) उपभोक्ता के कनेक्शन पर स्थापित मीटर क्र. 1752853 मेक AEW 3 फेस मीटर की माह जुलाई 2023 में डिस्प्ले खराब होने के कारण विद्युत वितरण कंपनी के बिलिंग सॉफ्टवेयर स्वतः प्रणाली द्वारा 150 यूनिट प्रति किलो वॉट के अनुसार $4 \times 150 = 600$ यूनिट का देयक जारी हुआ ।
- (iii) उपभोक्ता का खराब मीटर बदलकर नया मीटर क्र. 8469055 मेक HPL दिनांक 05/12/2023 को स्थापित किया गया ।
- (iv) उपभोक्ता द्वारा दिनांक 28/08/2023 बिल सुधार हेतु आवेदन किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुये विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका 8.44 (b) के अनुसार खपत का निर्धारण पूर्व तीन माह अप्रैल – 2023 से जून-2023 तक दर्ज खपत का औसत 270 यूनिट के आधार पर पुनरीक्षण किया गया । माह जुलाई-2023 एवं अगस्त 2023 का देयक पुनरीक्षण कर राशि 6510 रुपये का समायोजन आवश्यक स्वीकृति उपरांत माह अक्टूबर – 2023 के देयक में एवं माह- सितम्बर – 2023 से नवम्बर – 2023 तक का देयक पुनरीक्षण कर राशि 9503 रुपये का समायोजन आवश्यक स्वीकृति उपरांत माह- नवम्बर – 2023 के देयक में किया जा चुका है ।
- (v) उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता द्वारा कंपनी स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर में उक्त वाद प्रकरण क्र. 172/ 2023 के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है जिस पर माननीय फोरम द्वारा दिनांक 29/02/2024 को जारी आदेश में स्पष्ट लेख किया गया है कि "प्रतिवादी द्वारा वादी के जुलाई-2023 से सितम्बर – 2023 तक की अवधि के विद्युत में आवश्यक सुधार कर दिया गया है। अतः प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाता है।"

07. अनावेदक द्वारा अपने उपरोक्त प्रत्युत्तर के साथ निम्न दस्तावेज की प्रतिया प्रस्तुत की गईं :-

- (i) विद्युत उपभोक्ता फोरम जबलपुर का प्रकरण क्र. 172/2023 में आदेश दिनांक 29.02.2024 की प्रति ।
- (ii) उपभोक्ता द्वारा जून 2022 से लेकर मार्च 2024 तक की गई विद्युत खपत, आंकलित खपत तथा कुल देयक इत्यादि के विवरण के साथ "Consumer Report".
- (iii) आवेदक, द्वारा अनावेदक कंपनी को लिखे गये पत्र दिनांक 28.08.2023 की प्रति, जिसके द्वारा मीटर के खराब होने की सूचना के साथ गलत विद्युत देयकों को सही करने हेतु निवेदन किया गया ।
- (iv) अनावेदक द्वारा आवेदक के जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 के विद्युत बिलों को संशोधित करने हेतु आंतरिक पत्राचार के साथ माह अक्टूबर 2023 और नवम्बर 2023 के विद्युत देयकों की प्रति ।

08. इस प्रकरण में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कंडिका 8.24, 8.26 एवं 8.44 में प्रावधान जो निम्नानुसार उद्धृत हैं, का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया:-

कण्डिका 8.24

विनियम 8.23 के अनुसार या फिर अनुज्ञप्तिधारी के नियतकालिक या अन्य निरीक्षण के दौरान भी उपभोक्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर उनके मापयंत्र वाचन (मीटर रीडिंग) मापयंत्र के रुक जाने, मुद्रांकन (सील) क्षतिग्रस्त हो जाने, मापयंत्र के जल जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मापयंत्र रुक गया है/ वाचन को अभिलेखबद्ध नहीं कर रहा है या फिर उपभोक्ता इस बारे में शिकायत दर्ज करता है, जिसके अनुसार मापयंत्र वाचन उसकी विद्युत खपत के आनुपातिक नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी मापयंत्र का परीक्षण सात दिवस के भीतर किये जाने की व्यवस्था करेगा। निम्न

दाब/उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, मापयंत्र की धारा 8.26 (ग) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर मरम्मत कर दी जानी चाहिए या फिर इसे बदल दिया जाना चाहिए।

कण्डिका 8.26

“दोषपूर्ण या जले हुए या चोरी गए मापयंत्रों (मीटरों) का प्रतिस्थापन निम्नानुसार किया जाएगा:—

- (क) “या तो उपभोक्ता की शिकायत पर या फिर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण किये जाने पर, यदि मापयंत्र (मीटर) प्रथमदृष्टया ऐसे कारणों, जिनके लिये उपभोक्ता उत्तरदायी न हो, के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त, चोरी हुआ पाया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी समय-सीमा, जैसी कि यह इस धारा की उपधारा (ग) में निर्दिष्ट की गई है, के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर एक नये मापयंत्र (मीटर) के माध्यम से विद्युत आपूर्ति पुनः स्थापित करेगा;
- (ख) यदि, जाँच-पड़ताल के पश्चात् यह पाया जाता है कि मापयंत्र (मीटर) ऐसे कारणों, जिसके लिये उपभोक्ता उत्तरदायी है, के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त या जला या चोरी हुआ है तो उपभोक्ता से आवश्यक प्रभारों की वसूली समय-समय पर संशोधित तथा यथाप्रयोज्य मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम के अनुसार की जाएगी;
- (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शहरी क्षेत्रों में चौबीस घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में बहत्तर घंटे के भीतर मापयंत्र (मीटर) प्रतिस्थापित किया जाएगा।”

कण्डिका 8.44

“जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत् नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा:—

- (क) “यदि प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (रीडिंग) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।
- (ख) ऐसे प्रकरण में, जहां मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण हो तथा प्रति-परीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो या दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर दोषपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आंकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन-चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत

ऐसी परिस्थितियां हैं, जो अनुज्ञापिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता कि लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञापिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे, जिनका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा।

(ग) अनुज्ञापिधारी, त्वरित उचित आंकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयंत्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर प्रावधिक देयक (प्रोविजनल बिल) जारी कर सकेगा, जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्याधीन होगा।”

09. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में प्रदत्त जानकारी, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 172/2023 में पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 एवं अनावेदक द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर के परीक्षण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं :-

01. आवेदक के 4 किलोवॉट घरेलु विद्युत कनेक्शन का मीटर जुलाई, 2023 में बन्द/खराब हो गया जिसकी जानकारी स्वयं आवेदक/उपभोक्ता को विद्युत देयक प्राप्त होने के बाद मिली। उक्त मीटर के बन्द/खराब होने की सूचना/शिकायत उपभोक्ता द्वारा ऑनलाईन दर्ज करवाई एवं दिनांक 08 अगस्त, 2023 को लिखित रूप से भी अनावेदक के उपयंत्री कार्यालय में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.23 अनुसार दर्ज की गई, जिसकी पावती आवेदक द्वारा अभ्यावेदन के साथ संलग्न की गई।

02. आवेदक द्वारा मीटर बन्द/खराब होने की शिकायत पर अनावेदक द्वारा बन्द/खराब मीटर को बदलने हेतु “मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021” की कण्डिका 8.24 एवं 8.26 (ग) में विनिर्दिष्ट 24 घण्टे की समय-सीमा का पालन न करते हुए मीटर को लगभग साढ़े चार माह पश्चात 5 दिसम्बर, 2023 को बदला गया। मीटर में खराबी के दौरान अनावेदक द्वारा जुलाई, 2023 से नवम्बर, 2023 तक विद्युत वितरण कम्पनी की बिलिंग साफ्टवेअर प्रणाली द्वारा 150 युनिट प्रति किलोवॉट के अनुसार उपभोक्ता को 600 युनिट प्रतिमाह आंकलित खपत पर बिलिंग की गई, जो कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाई गई।

03. तत्पश्चात, उपभोक्ता के आवेदन पर उपरोक्त त्रुटिपूर्ण आंकलित विद्युत खपत को संज्ञान में लेकर अनावेदक द्वारा मीटर के बन्द/खराब होने से पिछले तीन मापयंत्र वाचन चक्रों के मासिक औसत युनिट के आधार पर आवेदक के विद्युत देयकों को माह अक्टूबर, 2023 एवं नवम्बर, 2023 में पुनरीक्षित किया गया। अनावेदक द्वारा उपरोक्त पुनरीक्षण से उपभोक्ता की

पूर्व आंकलित 600 यूनिट प्रतिमाह के स्थान पर 270 यूनिट प्रतिमाह खपत आंकलित की गई एवं उपभोक्ता के माह अक्टूबर, 2023 एवं नवम्बर, 2023 के विद्युत देयकों में रू0 6540/- एवं रू0 9503/- की राशि को कम करते हुए समायोजन किया गया । अनावेदक द्वारा किए गए आंकलित खपत के पुनरीक्षण के पश्चात् भी आवेदक के संतुष्ट नहीं होने के कारण उसके द्वारा जबलपुर फोरम के समक्ष इसकी शिकायत हेतु आवेदन दिया, जिस पर सुनवाई के पश्चात् फोरम ने अनावेदक द्वारा की गई बिलिंग को न्यायोचित माना ।

04. आवेदक के असंतुष्ट होने का कारण सिर्फ यह है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आंकलित खपत की गणना हेतु तीन माह की औसत यूनिट में वह 2 माह (मई 2023 एवं जून 2023) भी है, जिनमें गर्मी एवं अन्य कारणों से उनकी विद्युत खपत असामान्य रही जिससे तीन माह की औसत यूनिट की गणना अत्यधिक हुई परन्तु अनावेदक द्वारा बन्द/खराब मीटर को समय सीमा में न बदलते के कारण लगातार पांच माह जुलाई, 2023 से माह नवम्बर, 2023 के विद्युत देयकों का 270 युनिट प्रतिमाह के आधार पर आवेदक द्वारा भुगतान कर आर्थिक नुकसान सहना पड़ा । आवेदक की दो माह 'मई, 2023 एवं जून, 2023' की खपत को छोड़कर विगत वर्ष 2022 एवं मीटर बदलने के बाद दिसम्बर, 2023 के बाद की वास्तविक विद्युत खपत 108 युनिट प्रतिमाह के अंदर ही रही है ।
05. प्रकरण के परीक्षण पर यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आंकलित खपत की गणना मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.44 (ख) के अनुसार की गई परन्तु उक्त संहिता की ही कण्डिका 8.23 का उपभोक्ता द्वारा पालन होने के उपरांत भी अनावेदक द्वारा कण्डिका 8.24 एवं 8.26 (ग) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का उल्लंघन कर बन्द/खराब मीटर को 'एक दिवस' के स्थान पर 'साढ़े चार माह' पश्चात् बदला गया । इस कारण उपभोक्ता की वास्तविक खपत कम होते हुए भी उसको चार माह यानी अगस्त, 2023 से नवम्बर, 2023 का विद्युत बिल 270 युनिट की आंकलित खपत के अनुसार जमा करना पड़ा जो कि न्यायसंगत नहीं है । यदि आवेदक का बन्द/खराब मीटर उपर्युक्त 24 घंटे की समय सीमा में बदल दिया जाता तो आवेदक को केवल एक माह यानी जुलाई, 2023 का ही बिल आंकलित खपत 270 युनिट अनुसार भुगतान करना पड़ता एवं शेष माहों में वास्तविक खपत अनुसार ही भुगतान होता ।
06. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अनावेदक द्वारा अपने प्रत्युत्तर के साथ संलग्न आवेदक की जून 2022 से लेकर मार्च 2024 तक की अवधि में (मीटर खराब होने की अवधि जुलाई, 2023 से नवम्बर, 2023 को छोड़कर) वास्तविक खपत, जो निम्न अनुसार रही, को संज्ञान में लेना आवश्यक है :-

माह	विद्युत खपत (यूनिट)
जून, 2022	93
जुलाई, 2022	75
अगस्त, 2022	59
सितम्बर, 2022	68
अक्टूबर, 2022	67
नवम्बर, 2022	45
दिसम्बर, 2022	74
जनवरी, 2023	57
फरवरी, 2023	51
मार्च, 2023	60
अप्रैल, 2023	77
मई, 2023	314
जून, 2023	419
जुलाई, 2023 से नवम्बर, 2023 तक	270 यूनिट प्रतिमाह आंकलित खपत अनुसार बिलिंग की गई है ।
दिसम्बर 2023	40
जनवरी, 2024	10
फरवरी, 2024	108
मार्च, 2024	78

07. उपरोक्त तालिका में उपभोक्ता की वास्तविक मासिक खपत के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के बन्द/खराब मीटर को विधिक प्रावधान के अनुसार समय-सीमा में नहीं बदलकर साढ़े चार माह की अवधि के पश्चात बदला गया । मीटर बदलने में विलंब के कारण आवेदक को उन दो माह मई, 2023 एवं जून 2023 गर्मी के कारण हुई खपत के कारण जुलाई, 2023 को छोड़कर शेष चार माह अगस्त, 2023 से नवम्बर, 2023 में भी वास्तविकता से अधिक विद्युत देयकों का बोझ सहना पड़ा, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.24 एवं 8.26(ग) में खराब मीटर को बदलने की समय-सीमा के उल्लंघन होने के कारण न्यायसंगत नहीं है ।

08. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जुलाई, 2023 की रीडिंग दिनांक 24.07.2023 को ली गई थी । यदि आवेदक/उपभोक्ता का खराब/बंद मीटर निर्धारित 24 घंटे की

समय-सीमा के अंदर माह जुलाई, 2023 में ही बदल दिया जाता तो विगत तीन माह की औसत युनिट पर आधारित आंकलित युनिट का देयक उपभोक्ता को केवल माह जुलाई, 2023 का ही जमा करना होता एवं इस प्रकार मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की तीनों कण्डिका 8.24, 8.26(ग) एवं 8.44(ख) का पालन भी हो जाता ।

09. उपरोक्त तथ्यों एवं निष्कर्ष के आधार पर अनावेदक को निम्न निर्देश दिए जाते हैं :-

(1) आवेदक का मीटर बंद/खराब होने वाले माह (जुलाई, 2023) से पिछले तीन माह अप्रैल, मई एवं जून, 2023 की औसत खपत के आधार पर केवल जुलाई, 2023 की बिलिंग कर जुलाई माह का विद्युत देयक पुनरीक्षित करें ।

(2) मीटर बंद/खराब रहने की शेष समय अवधि अगस्त, 2023 से नवम्बर, 2023 तक की खपत का आंकलन पिछले वर्ष यानि अगस्त, 2022 से नवम्बर 2022 के महीनों में आवेदक द्वारा की गई मीटरीकृत वास्तविक खपत के आधार पर मासिक औसत युनिट अथवा दिसम्बर, 2023 से मार्च, 2024 की अवधि में आवेदक की मीटरीकृत वास्तविक खपत के आधार पर मासिक औसत युनिट में से जो भी अधिक हो, उसको मासिक आंकलित खपत मानकर अगस्त, 2023 से नवम्बर, 2023 के माहों का विद्युत देयक पुनरीक्षित करें ।

(3) उपरोक्त (1) एवं (2) के परिपालन पश्चात् आवेदक द्वारा जमा की गई अधिक राशि का समायोजन इस आदेश की प्राप्ति के उपरांत जारी होने वाले विद्युत देयकों में सुनिश्चित करें ।

(4) इस प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनावेदक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि बिलिंग साफ्टवेअर स्वतः प्रणाली में यह सुनिश्चित करें कि खराब/बंद मीटर के प्रकरणों में साफ्टवेअर द्वारा हो रही बिलिंग मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों अनुसार ही हो ।

10. आवेदक/उपभोक्ता की अपील स्वीकार की जाती है तथा फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है ।
11. उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।
12. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल

